रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072026-274986
CG-DL-E-30072026-274986

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 617]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2026/श्रावण 8, 1948
No. 617]	NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2026/SHRAVAN 8, 1948

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 679(अ).— साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 39 की उपधारा (2) के खंड (ङक) तथा (ङ.ख) के साथ पठित धारा 30क की उपधाराओं (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, प्रारूप नियम बनाने का प्रस्ताव करती है, जो एतद्वारा उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है और एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम को उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए लिया जाएगा, जिस तारीख को प्रारूप नियमों की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं।

उन व्यक्तियों, जिनके प्रभावित होने की संभावना है, से आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप भवन, तृतीय तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियमों के संबंध में उपर्युक्त अवधि के भीतर प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ—(1) ये नियम भारतीय बीमा कंपनी (जांच, न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2026 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा आवश्यक न हो,—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) से है;

(ख) " न्यायनिर्णयन अधिकारी" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 30क की उपधारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी से है;

(ग) "अपीलीय प्राधिकारी" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 30क की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत एक अधिकारी से है, जिसे अधिनियम की धारा 30क की उपधारा (1) के अंतर्गत किए गए न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है;

(घ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र से है;

(ङ) "भारतीय बीमा कंपनी" का तात्पर्य साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 3 (झ) के अंतर्गत यथा परिभाषित भारतीय बीमा कंपनी से है;

(च) "जांच" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 30क की उपधारा (1) में संदर्भित जांच से है;

(छ) "पक्ष" में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील में अपीलकर्ता और प्रतिवादी दोनों शामिल हैं;

3. शिकायत — कोई भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम की धारा 29 के तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के बारे में समय-समय पर यथा अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए प्रपत्र I अथवा भौतिक रूप से, स्पीड पोस्ट के जरिए या न्यायनिर्णायक अधिकारी को प्रत्यक्ष रूप से शिकायत दर्ज कर सकती है।

4. न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच—धारा 30क की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ, न्यायनिर्णायक अधिकारी नियम 5 में प्रदान की गई कार्यविधि से जांच करेगा।

5. जांच का तरीका—(1) जांच के प्रयोजनार्थ, न्यायनिर्णायक अधिकारी, सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति को प्रपत्र II में एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उससे नोटिस में निर्धारित अवधि के भीतर जो कि नोटिस की तामील की तिथि से चौदह दिनों से कम नहीं होगी, यह बताने के लिए कहा जाएगा कि उसके खिलाफ ऐसी जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जारी किया गया प्रत्येक नोटिस उल्लंघन की प्रकृति को इंगित करेगा।

(3) ऐसे व्यक्ति द्वारा दिखाए गए कारण, यदि कोई हों, पर विचारोपरांत, यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी का यह मत है कि जांच की जानी चाहिए, तो वह या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उस व्यक्ति की उपस्थिति के लिए एक तारीख तय करते हुए एक नोटिस जारी करेगा:

(4) निर्धारित तिथि पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी उस व्यक्ति को या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को इस अधिनियम के उपबंधों का हवाला देते हुए ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए कथित उल्लंघन के बारे में बताएगा, जिसके संबंध में उल्लंघन होने का आरोप है।

(5) तदोपरांत, न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति को प्रपत्र-III के अनुसार दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा जो वह जांच के लिए प्रासंगिक समझे और यदि आवश्यक हो, तो सुनवाई को भविष्य की तारीख के लिए स्थगित किया

जा सकता है और ऐसे साक्ष्य लेते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के उपबंधों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(6) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (3) द्वारा यथापेक्षित न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है या उपस्थित होने से इनकार करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच को आगे बढ़ाने के कारणों को दर्ज करने के पश्चात जांच को आगे बढ़ा सकता है।

6. न्यायनिर्णायक अधिकारी की शक्तियां.— जांच के प्रयोजनार्थ, न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास किसी मुकदमे के संबंध में, वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत एक सिविल न्यायालय में अंतर्विष्ट हैं,–

क) किसी भी व्यक्ति को हाज़िरी या उपस्थिति के लिए बुलाना और उसकी जांच करना;

ख) दस्तावेजों या अन्य भौतिक वस्तुओं का पता और पेश किए जाने की आवश्यकता होना;

ग) शपथ-पत्र पर प्रमाण प्राप्त करना;

घ) किसी सार्वजनिक कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी एक प्रति की मांग करना;

ङ) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना; तथा

च) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है।

7. न्यायनिर्णायक अधिकारी का आदेश—(1) यदि, न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रमाणों पर विचार करने पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि व्यक्ति ने अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत उल्लंघन किया है, तो वह लिखित रूप में आदेश द्वारा, ऐसा दंड लगा सकता है जो वह धारा 30 के अनुसार उचित समझता है।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत किए गए प्रत्येक आदेश में अधिनियम के उन प्रावधानों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिनके संबंध में उल्लंघन हुआ है और इसमें ऐसे निर्णयों के संक्षिप्त कारण होंगे।

(3) इस तरह के प्रत्येक आदेश को न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी नोटिस जारी होने के छह महीने के भीतर कार्यवाही पूरी करेगा।

8. दंड लगाते समय विचार किए जाने वाले कारक—धारा 30 के अंतर्गत दंड की मात्रा का निर्धारण करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी को निम्नलिखित कारकों का उचित ध्यान रखना होगा, अर्थात् :—

(क) उल्लंघन के परिणामस्वरूप बनाई गई; अनुपातहीन लाभ या अनुचित लाभ की मात्रा, जहां भी मात्रात्मक हो,

(ख) उल्लंघन के परिणामस्वरूप भारतीय बीमा कंपनी को हुई हानि की राशि;

(ग) उल्लंघन की दोहराव प्रकृति;

(घ) प्रकृति, गंभीरता और उल्लंघन की अवधि;

(ङ) उल्लंघन के प्रभावों और परिणामों को कम करने के लिए व्यक्ति द्वारा की गई कार्रवाई और इस तरह की कार्रवाई की समय-सीमा और प्रभावशीलता;

(च) ऐसे अन्य कारक जो न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा उचित समझे जा सकते हैं।

9. आदेश की प्रति — न्यायनिर्णायक अधिकारी उसके द्वारा नियमों के अंतर्गत किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति को जिस पर जुर्माना लगाया गया है और भारतीय बीमा कंपनी को भेजेंगे।

10. नोटिस और आदेशों को पहुंचाना—(1) इन नियमों के अंतर्गत जारी नोटिस या आदेश व्यक्ति को निम्नलिखित तरीके से पहुंचाया जाएगा, कहने का तात्पर्य यह है कि,—

(क) इसे उस व्यक्ति या उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुपुर्द करके; या

(ख) व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजकर बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के वास्तविक वितरण का पर्याप्त सबूत हो;

(ग) इसे व्यक्ति को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा पावती देय के साथ भेजकर

(i) उसके निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान के पते पर जहां वह लाभ के लिए व्यवसाय या व्यक्तिगत रूप से काम करता था, या अंतिम बार काम करता था

(ii) बीमाकर्ता के पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजकर;

(घ) जहां इसे खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता है, इसे बाहरी दरवाजे या परिसर के किसी अन्य विशिष्ट हिस्से पर चिपकाकर जिसमें वह व्यक्ति रहता है या अंतिम रूप से निवास करने के लिए जाना जाता है, या व्यवसाय या व्यक्तिगत रूप से काम करता है या अंतिम लाभ के लिए काम करता है और उसकी लिखित रिपोर्ट में दो व्यक्तियों की गवाही होनी चाहिए।

11. अपील — (1) इन नियमों के अंतर्गत न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रपत्र-IV में अपील कर सकता है।

(2) केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 30क की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना के माध्यम से अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकती है।

(3) अपील आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के पास दायर की जाएगी:

बशर्ते, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार की जा सकती है, यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकारी को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर अपील को प्राथमिकता नहीं देने के लिए पर्याप्त कारण थे।

(4) अपील के साथ नियम 6 के उप-नियम (1) के अंतर्गत जारी न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश की एक प्रति, जिनके विरूद्ध अपील की गई के संबंध में तथ्यों का एक स्पष्ट विवरण और अपील के आधार तथा अधिनियम की प्रासंगिक धारा होनी चाहिए।

(5) अपील अपीलकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से तीन प्रतियों में दायर की जाएगी।

(6) डाक द्वारा भेजी गई अपील को अपीलीय प्राधिकारी को उस दिन दायर किया गया माना जाएगा जिस दिन यह प्राप्त हुआ है।

(7) यदि जांच करने पर, अपील सही पाई जाती है, तो इसे स्वीकार किया जाएगा और यदि अपील दोषपूर्ण पाई जाती है, तो पक्षकार को नोटिस देने के बाद, अनुपालन के लिए वापस कर दिया जाएगा और यदि इस तरह के नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर या ऐसे विस्तारित समय के भीतर प्रदान की जा सकती है, दोष को ठीक नहीं किया जाता है, अपीलीय प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, अपील को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है।

(8) अपील की एक प्रति अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादी को हाथ से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दी जाएगी।

(9) प्रतिवादी, अपील की सूचना की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, अपीलीय प्राधिकारी को उत्तर दाखिल कर सकता है।

(10) अपीलीय प्राधिकारी संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी से कार्यवाही से संबंधित रिकॉर्ड मांग सकता है।

(11) अपीलीय प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

(l 2) अपीलीय प्राधिकारी अपील स्वीकार होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का निपटान करेगा।

12. समय का विस्तार — न्यायनिर्णायक अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, जहां कार्य करने में देरी या विफलता का कोई उचित कारण है, इन नियमों में निर्दिष्ट किसी भी अवधि को उस अवधि तक बढ़ा सकता है जिसे वह उचित समझता है।

13. आदेश और दंड — (l) इन नियमों के अंतर्गत प्रत्येक आदेश पर तारीख व हस्ताक्षर होंगे और वह सभी पक्षों को दिया जाएगा।

(2) इन नियमों के अंतर्गत दंड के रूप में प्राप्त सभी राशियां भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी।

[फा. सं. 12018/1/2020-बीमा-II]

डा. देबाशीष पृष्टी, अपर सचिव

फॉर्म – I

(नियम 3 देखें)

सेवा में,

न्यायनिर्णायक अधिकारी,

वित्तीय सेवाएं विभाग,

वित्त मंत्रालय

....

विषय: **साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57)**

महोदय/महोदया,

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह आया है कि साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 29 के अंतर्गत उल्लंघन किए जाने का मामला प्राप्त हुआ है (सूचना/रिपोर्ट (यदि कोई हो) की प्रति संलग्न है)।

2. उपर्युक्त उल्लंघन पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन दंडनीय है। इसलिए, भारतीय बीमा कंपनी (जांच, न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2026 के अनुसार आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप उल्लंघन के न्यायनिर्णयन हेतु साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 30क के अनुसार न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में समुचित कार्रवाई करें।

शिकायतकर्ता का
नाम और पता

दिनांक:

स्थान:

फॉर्म —II

[नियम 5(1) देखें]

सेवा में,

………………………………

………………………………

………………………………

कारण बताओ नोटिस

विषयः साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57)

महोदय/महोदया,

फॉर्म-I दिनांक …………… (प्रति संलग्न) में प्राप्त शिकायत के अनुसार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 29 का उल्लंघन किया गया है।

2. उपर्युक्त उल्लंघन दंडनीय है। इसलिए, आपको यह नोटिस मिलने के ….. दिनों के अंदर कारण बताना होगा कि क्यों न आपके विरुद्ध साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) के अनुच्छेद 30क के अंतर्गत जुर्माना लगाने के लिए जांच शुरू की जाए। अगर निर्धारित समय में कोई जवाब नहीं मिलता है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत आगे की कार्रवाई की जायेगी।

न्यायनिर्णायक अधिकारी

दिनांक:

स्थान:

फार्म-III उल्लंघनकर्ता द्वारा या उसकी ओर से दस्तावेज़ या सबूत प्रस्तुत करना [नियम 5 का उपनियम 5 देखें]		
सेवा में ……………… ……………… ………………		
1.	मैं /हम, ……………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… इसके द्वारा, फॉर्म-I में की गई शिकायत के संबंध में एक प्रति-कथन प्रस्तुत करती/करता/करते हैं। जिन आधारों पर यह प्रति-कथन प्रस्तुत किया गया है, वे निम्नलिखित हैं:- ………………………………………………………… …………………………………………………………	
2.	मोबाइल नंबर और ई-मेल सहित पूरा पता लिखे जिसमें पोस्टल इंडेक्स नंबर/कोड और राज्य हो।	
3.	उल्लंघनकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:	
4.	जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया है उसका नाम और मोबाइल नंबर	

फार्म-IV

अपील

[नियम 11 का उपनियम 1 देखें]

सेवा में
अपीलीय प्राधिकारी,
………….
………….
………….

1	अपीलकर्ता का विवरण:
	(i) नाम:
	(ii) पता:
	(iii) संपर्क नंबर:
	(iv) ई-मेल:
2.	अपील का आधार: (निर्णायक अधिकारी के आदेश की एक प्रति संलग्न करे)
3.	निर्णायक अधिकारी के आदेश की तिथि:
4.	तथ्यों का विवरण:

मैं / हम…………….. , अपीलकर्ता, एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि इसमें ऊपर बताए गए तथ्य मेरी/हमारी जानकारी, सूचना और मत के अनुसार सही हैं।

5.	अपीलकर्ता के हस्ताक्षर और तारीख:
6.	अपीलकर्ता का नाम:

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2026

G.S.R. 679(E).—Draft rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 30A read with clause (ea) and (eb) of sub-section (2) of section 39 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), are hereby published for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken for publication in the Gazette of India after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the draft rules are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, from persons likely to be affected may be addressed to the Secretary, Ministry of Finance, Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, 3rd floor, Sansad Marg, New Delhi 110001.

Objections or suggestions that may be received from persons likely to be affected with respect to the draft rules within the aforesaid period shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules are the Indian Insurance Companies (Inquiry, Adjudication and Appeal) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972);

(b) "Adjudicating officer" means the officer appointed by the Central Government as adjudicating officer under sub-section (1) of section 30A of the Act;

(c) "Appellate authority" means an officer authorised under sub-section (2) of section 30A of the Act to whom an appeal may be preferred against an order of the adjudicating officer made under sub-section (1) of section 30A of the Act;

(d) "Form" means a form appended to these rules;

(e) '"Indian Insurance Company" means an Indian insurance company as defined under section 3(i) of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972;

(f) "Inquiry" means the inquiry referred in sub-section (1) of section 30A of the Act;

(g) "Party" includes both appellant and respondent in the appeal before the Appellate Authority;

3. Complaint. — An Indian Insurance Company may file a complaint in Form-I through electronic means as notified from time to time or physically, through speed post or by hand to the adjudicating officer regarding any contravention committed under section 29 of the Act.

4. Inquiry by adjudicating officer.—For the purposes of sub-section (1) of section 30A, the adjudicating officer shall hold inquiry in the manner provided in rule 5.

5. Manner of holding inquiry.—(1) For the purposes of holding inquiry, the adjudicating officer shall, in the first instance, issue a notice in Form II to such person requiring him to show cause within such period as may be provided in the notice, being not less than fourteen days from the date of service, as to why such an inquiry should not be held against him.

(2) Every notice issued to a person under sub-rule (1) shall indicate the nature of contravention.

(3) After considering the cause, if any, shown by such person, if the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice fixing a date for the appearance of that person either personally or through his authorised representative:

(4) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised representative, the contravention alleged to have been committed by such person indicating the provisions of the Act in respect of which contravention is alleged to have taken place.

(5) The adjudicating officer shall, then, give an opportunity to such person to produce documents or evidence as per Form-III as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date and in taking such evidence, the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).

(6) If any person fails or refuses to appear before the adjudicating officer as required by sub rule (3), the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

6. Powers of Adjudicating Officer.— The Adjudicating Officer shall, for the purpose of holding an inquiry, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit, in respect of –

a. summoning and enforcing the attendance or appearance of any person and examining him;

b. requiring the discovery and production of documents or other material objects;

c. receiving evidence on affidavits;

d. requisitioning any public records or a copy thereof from a public office;

e. issuing orders for the examination of witnesses or documents; and

f. any other matter which may be prescribed.

7. Order of the adjudicating officer.—(1) If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has committed a contravention under section 30 of the Act, he may, by order in writing, impose such penalty as he thinks fit in accordance with section 30.

(2) Every order made under sub-rule (1) shall specify the provisions of the Act in respect of which contravention has taken place and shall contain brief reasons for such decisions.

(3) Every such order shall be dated and signed by the adjudicating officer.

(4) The adjudicating officer shall complete the proceeding within six months from the issuance of the notice.

8. Factors to be considered while imposing penalty.—While determining the quantum of penalty under section 30, the adjudicating officer shall have due regard to the following factors, namely :—

(a) the amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention;

(b) the amount of loss caused to the Indian Insurance Company as a result of the contravention;

(c) the repetitive nature of contravention;

(d) nature, gravity and duration of the contravention;

(e) action taken by the person to mitigate the effects and consequences of the contravention, and the timelines and effectiveness of such action;

(f) such other factors as may be deemed appropriate by the adjudicating officer.

9. Copy of the Order.— The adjudicating officer shall send a copy of every order made under rules by him to the person on whom the penalty is imposed and to the Indian Insurance Company.

10. Service of notices and orders.—(1) A notice or an order issued under these rules shall be served on the person in the following manner, that is to say,—

(a) by delivering it to that person or his duly authorised representative; or

(b) by sending it to the person through electronic means provided that there is sufficient evidence of actual delivery of the electronic record to the concerned person;

(c) by sending it to the person by registered post or speed post with acknowledgement due

(i) to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on, or last carried on, business or personally works, or last worked, for gain

(ii) to the address of the registered office of the insurer;

(d) where it cannot be served under clause (a) or clause (b) or clause (c), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided, or carried on business or personally works or last worked for gain and the written report thereof should be witnessed by two persons.

11. Appeal. — (l) Any person aggrieved by an order of the adjudicating officer under these rules, may prefer an appeal to the appellate authority in Form-IV.

(2) The Central Government may by notification under sub-section (2) of section 30A of the Act appoint an Appellate Authority.

(3) The appeal shall be filed with the appellate authority within a period of thirty days from the date of the order:

Provided that, the appeal may be admitted after the expiry of the period of thirty days, if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.

(4) The appeal shall be accompanied by a copy of order of adjudicating officer issued under sub-rule (1) of rule 6, a clear statement of facts appealed against and the grounds for appeal and the relevant section of the Act.

(5) The appeal shall be filed in triplicate by the appellant in person or by his duly authorised representative in writing or by registered post or speed post or through electronic means.

(6) The appeal sent by post shall be deemed to have been filed to the appellate authority on the day it is received.

(7) If on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be admitted and if the appeal is found to be defective, the same shall, after notice to the party, be returned for compliance and if within fifteen days of receipt of such notice or within such extended time as may be granted, the defect is not rectified, the appellate authority, may, for reasons to be recorded in writing, decline to admit the appeal.

(8) A copy of the appeal shall be served by the appellate authority on the respondent, by hand or by registered post or speed post or through electronic means.

(9) Respondent may, within thirty days of service of notice of appeal, file a response to the appellate authority.

(10) The appellate authority may call for the records relating to the proceedings from the respective adjudicating officer.

(11) The appellate authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders as he may consider reasonable.

(12) The appellate authority shall dispose of the appeal within sixty days from the date of admission of appeal.

12. Extension of time. — The adjudicating officer or the appellate authority may, for reasons to be recorded in writing, where there is a reasonable cause for the delay or failure to act, extend any period specified in these rules till such period as he considers reasonable.

13. Order and penalties. — (l) Every order under these rules, shall be dated, signed and communicated to all the parties.

(2) All sums realised by way of penalties under these rules shall be credited to the Consolidated Fund of India.

[F. No. 12018/1/2020-Ins.II]

Dr. DEBASISH PRUSTY, Addl. Secy.

Form —I
[See rule 3]

To

The Adjudicating Officer
Department of Financial Services
Ministry of Finance
……………………

Subject: General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972)

Sir/Madam,

It has come to the knowledge of the undersigned that contravention has been committed under section 29 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), (copy of the information / report (if any) is attached).

2. The above contravention is liable for penalty under the aforesaid Act. Therefore, as per the Indian Insurance Companies (Inquiry, Adjudication and Appeal) Rules, 2026, you are requested to take appropriate action as adjudicating officer as per section 30A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972) for adjudication of the contravention.

Name and address of the
complainant

Dated:
Place:

Form —II
[See rule 5(1)]

To

……………………………

……………………………

……………………………

SHOW CAUSE NOTICE

Subject: General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972)

Sir/Madam,

As per the complaint received in Form-I dated……………(copy enclosed), contravention has been committed under section 29 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972).

2. The above contravention is liable for penalty. Therefore, you are required to show cause within a period of …..days of service of this notice, why an inquiry should not be initiated against you under section 30A of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972) for imposition of penalty. In case, no reply is received within the given period, the further action shall be taken under the Act.

Adjudicating Officer

Dated:
Place:

FORM-III

Furnishing of document or evidence by or on behalf of the contravener

[See sub-rule 5 of rule 5]

To

………………………

………………………

………………………

1.	1/We, ………………………………………………. ……………………………………………………… ……………………………………………………… hereby give a counter statement to the complaint made in Form-I. The grounds in which the counter statement is made are as follows: - ………………………………………………………. ……………………………………………………….	
2.	Complete address including postal index number/code and State along with mobile number and e-mail	
3.	Signature of the contravener or his authorised representative:	
4.	Name of the person alongwith mobile number who has signed	

FORM-IV Appeal [See sub-rule 1 of rule 11]	
To Appellate Authority, …………………… …………………… ……………………	
1	Particular of appellant:
	(i) Name:
	(ii) Address:
	(iii) Contact No:
	(iv) Email:
2.	Grounds of appeal: (A copy of order of adjudicating officer to be enclosed)
3.	Date of order of the adjudicating officer:
4.	Statement of facts:
1/We................. , the appellant hereby declare that the facts stated herein above are correct to the best of my/our knowledge, information and belief.	
5.	Signature of appellant and date:
6.	Name of appellant:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.07.30 22:56:14 +05'30'